न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या—759 / 2026
रानीतालाब थाना कांड संख्या—199 / 2026

1. सुनील कुमार पिता सिद्धनाथ प्रसाद।
साकिन—फरीदपुर, थाना—जानीपुर, जिला—पटना।

—————— अभियुक्त।

आवेदक की ओर से— श्री विजय प्रसाद , विद्वान अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, वि0 सहा0लोक अभियोजक।

आदेश

06.07.2026 रानीतालाब थाना कांड संख्या—199 / 2026 धारा—115(2),118(1),126(2),303(2),308(2),85,109,352,352(2),351(3),3(5) बी.एन.एस. व 3 / 4 दहेज अधिनियम से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस जमानत के पूर्व ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक / अभियुक्त की ओर से एक Supplementary आवेदन दाखिल किया गया है कि उक्त अभियुक्त का फुलवारी (जानीपुर) थाना कांड संख्या—262 / 2010, 382 / 2012 एवं शाहपुर थाना कांड संख्या—320 / 2018 में आपराधिक इतिहास है। साथ ही जानीपुर थाना से प्रतिवेदन प्राप्त है कि उक्त आवेदक के विरूद्ध फुलवारी (जानीपुर) थाना कांड सं0—269 / 2008, 262 / 2010 एवं 382 / 2012 में आपराधिक इतिहास है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक दिनांक—13.06.2026 से काराधीन है। आवेदक को नियमित जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में परिवादिनी सिम्मी कुमारी का कथन है कि दिनांक—25.04.2026 को अभियुक्त सुनील कुमार के साथ हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न हुयी, इससे पूर्व प्रार्थीनी एवं अभियुक्त सुनील कुमार की सगाई दिनांक—14.11.2025 एवं तिलक का कार्यक्रम दिनांक—20.04.2026 को सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीनी के पिता सगाई एवं विवाह के पूर्व अभियुक्तों को उपहार स्वरूप नगद 13,11,000 / —रू0 एवं आर.टी.टी.एस. के माध्यम से अभियुक्त सिद्धनाथ प्रसाद के खाता में 08,90,000 / —रू0 भुगतान किये। कुल राशि 22,01,000 / —रू0 अभियुक्त को भुगतान किया गया, जिसके पश्चात् अभियुक्तगण द्वारा एक स्करपियो गाड़ी की मांग को लेकर दबाव बनाने लगे, तदोपरांत पार्थीनी के पिता कर्ज लेकर चार चक्का गाड़ी मो0 08,00,000 / —रू0 अभियुक्त सिद्धनाथ प्रसाद यादव को दिये, जिसे प्राप्त करने के उपरांत अभियुक्त सिद्धनाथ प्रसाद यादवनाखुश थे एवं बार—बार स्कारपियो की मांग को लेकर डअे रहे, जबकि तिलक एवं विवाह के समय प्रार्थीनी के माता—पिता अपनी हैसियत के अनुसार अभियुक्तगण को कीमती फर्नीचर, ए0सी0, गोदरेज, बर्तन, फ्रिज, वाशिंग मशी, कुलर, गिजर, पंखा एवं अभियुक्त सुनील कुमार को कपड़ा हेतु नगद पैसा, एक सोने का

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या—759 / 2026
रानीतालाब थाना कांड संख्या—199 / 2026

लगातार
06.07.2026

सिकड़ी, दो सोने का अंगूठी, एक चांदी का कटोरा कुल कीमत 10,00,000 / —रू0 लगभग दिये। विवाह के पश्चात् प्रार्थीनी के विदायी के समय अभियुक्त संख्या—1, 2 एवं 4. के द्वारा स्कारपियो गाड़ी की मांग को पुनः दोहराया गया एवं नहीं देने पर प्रार्थीनी को अपने साथ विदायी नहीं करने पर अडिग हो गये, तब प्रार्थीनी के माता—पिता एवं परिवार के लोगों के आरजू—मिन्नत के पश्चात् अभियुक्तगण प्रार्थीनी की विदायी हेतु तैयार हुये एवं दिनांक—26.04.2026 को प्रार्थीनी अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाने के क्रम में अभियुक्त सं0—1. प्रार्थीनी को पूरे रास्ते गंदी—गंदी गाली देता रहा एवं धमकी दिया कि घर चलने पर उसे सबक सिखयाया जायेगा। दिनांक—28.04.2026 को बहु भोज की समाप्ति उपरांत रात्रि को अभियुक्त सं0—1. प्रार्थीनी के साथ बेवजह बुरी तरह से मारपीट किया तथा दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या कर देने की धमकी दिया, फिर भी प्रार्थीनी लाचार एवं विवश होकर अपने ससुराल में रहने को मजबुर थी। प्रार्थीनी को अपने माता—पिता एवं भाई से बात करने को मना किया गया एवं प्रार्थीनी को मोबाईल के सम्पर्क से दुर रखा गया। प्रार्थीनी के पिता अपनी पुत्री की विदायी हेतु दिनांक—04.05.2026 को उक्त वाद के साक्षीगण के साथ गये तो हकीकत का पता चला, जिसके उपरांत प्रार्थीनी के पिता अभियुक्त सं0—1. को काफी समझाये, फिर भी प्रार्थीनी की विदायी नहीं की गयी। अभियुक्त सं0—1. के द्वारा स्कारपियो गाड़ी के मांग को लेकर प्रार्थीनी को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा एवं दिनांक—11.05.2026 की रात्रि में प्रार्थीनी को जान से मारने की नियत से प्रार्थीनी को कमरे में बंद करके बुरी तरह से पीटा गया एवं छाती, गर्दन पर पैर से दबाकर जान मारने का प्रयास किया गया। अभियुक्त सं0—1. के द्वारा यह भी कहा गया कि तुम्हारी हत्या कर दूसरी शादी करूँगा। अभियुक्त सं0—1. सोपौर बारामूल (जम्मू कश्मीर) में सी0आर0पी0एफ0 में सिपाही के पद पर कार्यरत है एवं दिनांक—12.05.2026 को अभियुक्त सं0—1. बारामूला (जम्मू कश्मीर) चला गया तथा इस दरम्यान प्रार्थीनी को प्रताड़ना देते रहा एवं अभी भी लगातार फोन करके प्रार्थीनी को धमका रहा है। अन्य अभियुक्तों के द्वारा दहेज में कम पैसा मिलने एवं स्कारपियो गाड़ी के लिये प्रार्थीनी को प्रताड़ित करते रहे तथा प्रार्थीनी को खाना—खोराकी देना बंद कर दिया। प्रार्थीनी किसी तरह अपने माता—पिता को अभियुक्तों के द्वारा प्रताड़ित किये जाने की सूचना दी एवं अपने—आपको कैद करने के बार में बतायी, जिसके उपरांत प्रार्थीनी के पिता प्रार्थीनी के ससुराल जाकर प्रार्थीनी को लाने का प्रयास किये, लेकिन अभियुक्त सं0—2. एवं 3. के द्वारा प्रार्थीनी को कैद कर रखा गया व मिलने तक नहीं दिया गया और अभद्र व्यवहार करके भगा दिया गया। प्रार्थीनी के पिता असहाय होकर घर वापस आ गये। अभियुक्तों के द्वारा लगातार प्रताड़ना से तंग होकर प्रार्थीनी दिनांक—27.05.2026 को

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या—759 / 2026
रानीतालाब थाना कांड संख्या—199 / 2026

लगातार
06.07.2026

अपनी मॉ से अपने को वहॉ से निकलने हेतु मिन्नत की, जिसके उपरांत दिनांक—28.05.2026 को साक्षियों एवं स्थानीय थाना की महिला सिपाही की मदद से दिनांक—28.05.2026 की संध्या प्रार्थीनी को पहने हुये कपड़े में निकाला गया, जिसकी स्थिति काफी दयनीय थी एवं उसके विवाह में मिले उपहार सोना—चॉदी की जेबरात सहित कपड़ा एवं अन्य कीमती समान अभियुक्त सं0—3. एवं 5. के द्वारा छिन लिया गया तथा परिवादिनी की गंभीर स्थिति को देखते हुये उसे उचित ईलाज हेतु रेफरल अस्पताल, नौबतपुर में प्राथमिक ईलाज करवाया गया। पुनः प्रार्थीनी को साक्षी संख्या—3. के द्वारा प्रार्थीनी को मसौढ़ी ले जाकर प्राईवेट में ईलाज करवाया गया। दिनांक—03. 06.2026 को प्रार्थीनी अपना ईलाज कराने के पश्चात् साक्षी संख्या—3. के साथ मसौढ़ी से अपने मायके सेलगढ़ आने के क्रम में संध्या करीब 6.30 बजे कनपा पुल, रानीतालाब पहॅूचने के उपरांत अभियुक्त सं0—2. एवं 4. के द्वारा अन्य अज्ञात असमाजिक तत्वों के सहयोग से साक्षी संख्या—3. को रोककर प्रार्थीनी को खिंचकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह जान बचाकर प्रार्थीनी साक्षी संख्या—3. के साथ अपने मायके सेलगढ़, रानीतालाब पहॅूच गयी। अभियुक्तगण द्वारा दहेज के लिये लगातार प्रार्थीनी को प्रताड़ित किया गया एवं जान से मारने का प्रयास किया गया। अंततः अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रार्थीनी द्वारा परिवाद—पत्र दाखिल किया गया। अभियुक्तगण पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख, कांड दैनिकी, आवेदक की ओर से दाखिल Supplementary आवेदन एवं जानीपुर थाना से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीनी को आवेदकगण द्वारा स्कारपियो गाड़ी नहीं मिलने के कारण भोजन बंद कर देने, प्रताड़ित व मारपीट करने से संबंधित है, जिसका समर्थन कांड दैनिकी के साक्षीगण द्वारा समर्थन किया गया है। आवेदक का कई आपराधिक इतिहास भी है। अपराध गंभीर तथा गंभीर असमाजिक प्रकृति का है। भावनात्मे शोषण और शारीरिक शोषण से संबंधित है तथा इस अपराध से वैवाहिक व्यवस्था प्रदूषित होती है। यह अपराध न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक भी है।

अवएव मामले के तथ्यों व अपराध की गंभीरता को देखते हुये उक्त काराधीन अभियुक्त सुनील कुमार को जमानत देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, उनके तरफ से दाखिल नियमित जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-
अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।